

प्रेषक,

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2018

विषय- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में छात्रावास का विस्तार, जिमनेजियम एवं अतिथिगृह के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जे0टी0आर0आई0/विविध-3331/15-1804, दिनांक 30 नवम्बर 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में छात्रावास का विस्तार, जिमनेजियम एवं अतिथिगृह के निर्माण हेतु आगणन रू01140.58 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0500.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- चूंकि प्रश्नगत कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, के सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमती नगर लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।
- 2- निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे तथा कार्य की मापों/ मात्राओं आदि की द्विरावृत्ति की सम्भावना किसी स्तर पर न हो इसका दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा तथा इसकी देख रेख के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
- 3- प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना कार्यों के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- पुनरीक्षित आगणन के आधार पर प्रश्नगत कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप जनपद न्यायाधीश/निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- 7- निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- 8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विवावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है, और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में अर्जित है।
- 9- लागत आकलन प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।
- 10- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- 11- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 13- प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी । तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः प्रभाग से परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 14- निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।
- 15- प्रायोजनान्तर्गत स्प्लिट ए0सी0, गीजर, डी0जी0सेट, ट्रान्सफार्मर, वाटर कूलर तथा फर्नीचर की लागत कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है । इसे इन्डिकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है । अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें । कार्यदायी संस्थाद्वारानिर्माण कार्य के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 16- प्रायोजना प्रस्ताव में स्ट्रीट लाइट, साइनबोर्ड तथा ट्रान्सफार्मर, एच0टी0 व एल0टी0 पैनल की लागत एकमुश्त/डीएसआर के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन गठित कर लिया जाय तथा इस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय ।
- 17- प्रायोजना में विद्युत कनेक्शन हेतु एकमुश्त रू010.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है । इस धनराशि को विद्युत विभाग से प्राप्त आगणन के आधार पर वास्तविकता के आधार पर व्यय होगी । इस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

18- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

19- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

20- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं० बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 60-अन्य भवन-051-निर्माण - 05- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में छात्रावास का विस्तार, जिमनेजियम तथा अतिथिगृह का निर्माण-00-24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-12-59/दस-2017, दिनांक 12 जनवरी ,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

सं०- 14 /2018/1818(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र०, इलाहाबाद ।
- 3- निदेशक, 30प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
- 6- परियोजना प्रबन्धक 30प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, हाईकोर्ट इकाई- लखनऊ ।
- 7- वित्त ई- 12/ सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।